14/5/24 महावीर जी मेरे द्वारा वकील साहब मनु
कार बार बार सम्मन लगाते कोई उप०
नहीं न्यायालय समय समाप्ति से
पूर्व फिर से बार बार सम्मन लगाई
गई फिर भी कोई उप० नहीं लिया
अन्यथा मुकदमा हारूंगी - मुकदमा पैरवी में
खारिज किया जाता है। महावीर के तरफ
से गुमर होकर नामा से कम हो
एवं दायित्व दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
मण्डीपाड़ शाहपुरा

ा.मु.जो.